राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

क्रमांक परीक्षा–II/PF/B.Ed./2026/ **दिनांकः**

प्राचार्य/प्राचार्या,
(बी.ए.–बी.एड./बी.एससी–बी.एड.)
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय,
जयपुर ।

विषयः बी.ए.–बी.एड./बी.एससी.–बी.एड. भाग–चतुर्थ (चारवर्षीय पाठ्यक्रम) परीक्षा–2026 की आन्तरिक/प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि बी.ए.–बी.एड़./बी.एससी.–बी.एड़. भाग–चतुर्थ (चारवर्षीय पाठ्यक्रम) परीक्षा–2026 की आन्तरिक/प्रायोगिक परीक्षा दिनांक 27.05.2026 तक विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों से आयोजित करवाकर अंकों को ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करें। साथ ही परीक्षार्थियों के प्रायोगिक रिकॉर्ड (फाईल/असाईनमेंट) को महाविद्यालय द्वारा सुरक्षित रखना अनिवार्य है, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक होने पर मांगा जा सकता है तथा बाहय परीक्षक की नियुक्ति की सूचना व अन्य जानकारी वेबसाइटwww.univraj.orgके College Pannel पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आवश्यक दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैं–

1. प्रायोगिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षकों की सूचना कॉलेज पैनल पर उपलब्ध होगी, जिसकी गोपनीयता बनाये रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या की होगी। प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने हेतु बाह्य परीक्षक से उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित करें।

2. यदि किसी परीक्षक का नाम उसके कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में ही प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करवाने हेतु पैनल में उपलब्ध होता है तो सम्बन्धित महाविद्यालय उसे Decline कर उसकी सूचना ई–मेल आई.डी. b.ed.secy2020@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

3. विश्वविद्यालय की प्रायोगिक परीक्षा में महाविद्यालय बाह्य परीक्षक से लिखित में असहमति (वाट्सएप/ई–मेल/पत्र/टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से) प्राप्त होने तक बाह्य परीक्षक को Decline नहीं करें तथा बाह्य परीक्षक द्वारा लिखित में असहमति नहीं दिये जाने पर कार्यालय के ई–मेल b.ed.secy2020@gmail.com पर सूचित कार्यालय निर्देश का इंतजार करें। बाह्य परीक्षक की बिना सहमति के यदि Decline किया जाता है तो ऐसी स्थिति में महाविद्यालय पर रूपये 20,000/– का आर्थिक दण्ड अधिरोपित करते हुए उसकी समस्त प्रायोगिक परीक्षा HOLD कर दी जावेगी।

4. आन्तरिक/प्रायोगिक परीक्षा हेतु जिन परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा अनुक्रमांक आवंटित नहीं किये गये हैं अथवा जिन परीक्षार्थियों ने प्रक्रिया अन्तर्गत विषय परिवर्तित करवाया है तो ऐसे सभी परीक्षार्थियों के अवार्ड्स/अंक ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित कक्षा/विषय के उपलब्ध लिंक (Additional/New/TRF Student) के माध्यम से दर्ज किये जावेंगे। साथ ही परीक्षा आवेदन पत्र की जांच के दौरान परीक्षार्थी के अपात्र पाए जाने की स्थिति में उसकी आन्तरिक/प्रायोगिक परीक्षा निरस्त कर दी जावेगी।

5. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा समस्त छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करवाकर अंकों को निर्धारित अवधि में ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जावे। महाविद्यालय द्वारा किसी भी नियमित/पूर्व छात्रों के अंकों को मैन्युअल/ऑफलाइन हार्डकॉपी पर अंकित कर भेजे जाते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा ऐसे छात्रों का परीक्षा परिणाम अनुपस्थित मानकर घोषित कर दिया जावेगा। विश्वविद्यालय द्वारा इस संदर्भ में ना तो कोई पत्र व्यवहार किया जावेगा और ना ही परीक्षा परिणाम परिवर्तित किया जावेगा। ऐसे किसी भी प्रकरण में होने वाली वैधानिक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे।

6. प्रायोगिक परीक्षा आयोजित कराने एवं अवार्ड भरने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई आने पर कॉलेज पोर्टल पर उपलब्ध प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के दूरभाष नम्बरों पर सम्पर्क करें। साथ ही समाधान न होने की स्थिति में अविलम्ब विश्वविद्यालय को पूर्ण विवरण सहित ई–मेल आई.डी. b.ed.secy2020@gmail.com व दूरभाष नम्बर 0141–2705883/2256651 (सहायक कुलसचिव गोपनीय) पर सूचित करें तथा प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

कृ.पृ.उ.

7. प्राचार्य अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि छात्रों से प्रायोगिक परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की जावें। बाह्य परीक्षक या महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में परीक्षार्थियों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली को गम्भीरता से लिया जाकर, नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

8. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य किसी भी परिस्थिति में परीक्षक के ऑनलाइन जनरेट बिलों में किसी भी प्रकार से हस्तलिखित (Manually) तौर पर छात्रों की संख्या/अन्य प्रविष्टियों में संशोधन कर बिलों का सत्यापन ना करें। अन्यथा विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के साथ–साथ आर्थिक दण्ड भी अधिरोपित किया जा सकता है।

9. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राचार्या यह सुनिश्चित करें कि किसी भी बाह्य परीक्षक के दो बिल सत्यापित नही किये जावें। बाह्य परीक्षक के बिल दो बार सत्यापित कर कार्यालय में भेजे जाने पर संबंधित महाविद्यालय से भुगतान की गई बिल की राशि की वसूली करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेंगी।

10. प्रायोगिक परीक्षा–2026 की समय–समय पर जारी सूचनाओं हेतु वेबसाइट www.uniraj.ac.in www.univraj.org का visit करे, साथ ही विश्वविद्यालय प्रायोगिक परीक्षा की अधिकतम जानकारी के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा हेतु जारी पत्र कमांक उ.कु. गोपनीय/2025–26/261 दिनांक 23.12.2025 के दिशा–निर्देशों का भी अवलोकन करें।

11. समस्त परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएक साथ परीक्षकों के द्वारा सम्पन्न करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

12. उपरोक्त आंतरिक/प्रायोगिक परीक्षा के अवार्ड (अंक सूची) पाँच वर्ष तक महाविद्यालय में ही सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें तथा आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय द्वारा मांगा जा सकता है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं का गहनता से अवलोकन करते हुए निर्धारित तिथि तक आन्तरिक/प्रायोगिक परीक्षाएँ सम्पन्न करवाना सुनिश्चित करें।

–sd–
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक परीक्षा–II/PF/B.Ed./2026/1207-37

दिनांकः 16/05/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देशों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करने का श्रम करें।
2. उप कुलसचिव (परीक्षा संचालन/लेखा एवं वित्त), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव/सहायक, कुलगुरु/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. सहायक कुलसचिव, परीक्षा संचालन शाखा/तलघर–द्वितीय/परीक्षा विविध, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देश को सम्बन्धित महाविद्यालयों के पोर्टल एवं ई–मेल आई.डी. पर भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

सहायक कुलसचिव
(परीक्षा गोपनीय)